कार्यालय, असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया

अल्पकालीन निविदा

खगड़िया जिला अन्तर्गत सदर अस्पताल/रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि के लिए वर्त्तमान वर्ष में दवा, रसायन/सामग्री पूर्त्तियाँ/मशीन उपकरण क्रय हेतु आपूर्तिकर्त्ता/निर्माता फर्मों से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। यह निविदा सफलीभूत की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगी। निर्माता/अधिकृत विक्रेता प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर निबंधित डाक से निम्नलिखित शर्त्तो के अधीन अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में निविदा समर्पित कर सकते हैं, निविदा 21वें दिन के अपराह्न 05:00 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के प्रकोष्ठ में क्रय समिति के समक्ष तकनीकी निविदा खोली जायेगी। दवा एवं रसायन/सामग्री पूर्त्तियाँ/मशीन उपकरण इत्यादि सामानों की सूची निविदा प्रकाशन के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से 15 दिनों के अन्दर किसी भी कार्यदिवस के कार्यावधि में प्राप्त की जा सकती है। विशेष जानकारी के लिए वेबसाईट– www.prdbihar.Org या http://khagaria.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है। निविदा खोलने समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते हैं। निविदादाता उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जाएगी।

निविदा शर्त्तें निम्न प्रकार हैं :–

1. निविदा दो प्रकार की होगी – 1. तकनीकी एवं 2. वित्तीय निविदा। दोनों निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में प्राप्त की जाएगी। वित्तीय निविदा में सिर्फ मूल्य तालिका होगी, शेष सभी कागजात एवं जमानत राशि तकनीकी निविदा के साथ रहेगी। तकनीकी निविदा सभी प्रकार से सही पाए जाने पर ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
2. वित्तीय निविदा में दवा एवं रसायन/सामग्री पूर्त्तियाँ/मशीन उपकरण आदि का टैक्स रहित एवं टैक्स सहित दर Composition/Specification तथा मेक सहित उल्लेख करना होगा।
3. निविदादाता को निविदा के साथ जमानत राशि के रूप में 5,00,000/– (पाँच लाख रूपये) मात्र का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो सिविल सर्जन, खगड़िया के पदनाम से हो, संलग्न करना अनिवार्य है। दर अनुमोदन होने पर जब तक आपूर्त्ति चलती रहेगी जमानत राशि वापस नहीं की जाएगी।

निविदा की अन्य शर्त्तें :–

1. निविदादाता को उनके फर्म का बिहार राज्य वाणिज्य कर /GST निबंधन तथा अद्यतन वाणिज्यकर एवं आयकर भुगतान संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। दवा आदि निर्माण करने संबंधित अनुज्ञप्ति पत्र निर्माण संबंधित विस्तृत प्रमाण–पत्र मशीन उपकरणों का रंगीन कैटलॉक पूर्ण Specification के साथ संलग्न करना होगा।
2. निविदा के साथ निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता के औषधि अनुज्ञप्ति एवं नवीनीकरण प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। औषधि निर्माता, आपूर्तिकर्त्ता दोनों फर्मों का औषधि अनुज्ञप्ति वर्ष 2017–18 तक का नवीनीकरण होना अनिवार्य है। निविदा के साथ निविदादाता के प्रतिष्ठान का भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2017–18 के पूर्व का मान्य नहीं होगा। इसकी अवधि न्यूनतम एक वर्ष तक वैध होना अनिवार्य है।
3. आपूर्तिकर्त्ता फर्मों को निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का प्राधिकार पत्र अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से निर्माता फर्म द्वारा आपूर्तिकर्त्ता फर्म के पक्ष में निर्गत होना चाहिए। अन्यथा प्राधिकार पत्र मान्य नहीं होगा। एक निर्माता फर्म यदि एक से अधिक आपूर्तिकर्त्ता को खगड़िया जिले के लिए प्राधिकार पत्र निर्गत करते हैं तो उन सभी निविदा के उस अंश को रद्द समझा जाएगा। आपूर्तिकर्त्ता द्वारा जमा की जाने वाली सभी कागजात स्वःअभिप्रमाणित होना चाहिए।

4. निविदादाता फर्म मालिक/पार्टनर का पूर्ण पता फोन नं0 मोबाईल नं0 आयकर पैन कार्ड एवं स्वःअभिप्रमाणित फोटोग्राफ सहित निविदा के साथ संलग्न रहना चाहिए। निविदादाता को भारतीय होना चाहिए। पागल, नाबालिग या दिवालिया व्यक्ति एवं विवादित फर्म योग्य नहीं माने जायेंगे।
5. सभी दवाईयों के स्ट्रीप, भायल या फायल पर बिहार सरकार आपूर्ति, बिक्री के लिए नहीं **(Govt./Hospital Supply, Not for Sale)** अंकित होना अनिवार्य होगा। विदेश से आयातित मशीन/उपकरण के लिए संबंधित फर्म का आयात–निर्यात अनुज्ञप्ति की प्रति संलग्न करना होगा। मशीन/उपकरण पर निर्माता, फर्म/देश का नाम **Embossed** रहना आवश्यक है।
6. आपूर्त्ति की जानेवाली वस्तुओं की गुणवत्ता/संबंधित राष्ट्रिय या अर्न्तराष्ट्रीय मानक उपलब्ध हो तो उक्त स्थापित मानकों संबंधित कागजात/विवरणी भी दाखिल करें। मशीन उपकरण आई0एस0आई0 मार्क आई0एस0ओ0 9001/सी0ई0 मार्क आदि सिरिंज एवं उच्च कोटि के मेक वाले कंपनी/फर्मो को प्राथमिकता दी जाएगी। औषधि क्रम WHO/GMP/ISO 9001 सिरिज एवं उच्च मेक वाली कंपनी/फर्मो को प्राथमिकता दी जाऐगी। दवाओं एवं सामग्रियों के गुण – कोटि, कार्यकुशलता एवं टिकाऊपन को ध्यान में रखना जरूरी है।
7. स्वीकृत निविदादाता को पूरे एक वर्ष तक आदेशानुसार सामानों की आपूर्त्ति निर्धारित तिथि के अंदर करनी होगी। आपूर्ति अपने खर्च पर जिला मुख्यालय दवा भंडार तक पहुँचाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आदेश रद्द कर दिया जाएगा एवं जमानत की राशि जब्त हो जायेगी। आपूर्त्ति में टूट–फूट एवं विलंब के लिए किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अलग से फारवार्डिंग, पैकिंग, इन्श्योरेन्स, भाड़ा तथा कोइ अन्य व्यय आदि देय नहीं होगा। सामान का दर कंपनी दर/प्रिंट दर से अधिक नहीं होना चाहिए।
8. निविदा संबंधित किसी प्रकार के विवाद का न्यायिक क्षेत्र खगड़िया जिला होगा। निविदा संबंधित आवश्यक संशोधन अथवा निविदा पूर्णत या अंशतः रद्द करने का अधिकार क्रय समिति को होगा।
9. आपूर्ति किये गये दवा/सामानों की प्रत्येक बैच की गुणवत्ता जाँच का प्रमाण–पत्र/विश्लेषण प्रतिवेदन देना होगा। इसके साथ ही जिला स्तर से गुणवत्ता जाँच हेतु 2% (प्रतिशत) की राशि की कटौती भी की जायेगी। किसी भी समय निम्न स्तर की पाये जाने पर संबधित आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्व कानूनी कारवाई की जायेगी। आवश्यकतानुसार निर्माता फर्म के फैक्ट्री का निरीक्षण भी किया जा सकता है।
10. सरकारी प्रतिष्ठानों को भी वर्णित शर्त्तो के अधीन निविदा देना होगा।
11. दवाओं की अवसान (तिथिवाद) तिथि न्यूनतम 18 माह से 24 माह की होनी चाहिए।
12. बिहार लघु उद्योग विभाग से निबंधित ईकाई का स्थायी निबंधन एवं अद्यतन कार्यरत होने का प्रमाण–पत्र उद्योग विभाग से प्राप्त कर देना होगा।
13. निविदा कम्प्युटराईज्ड प्रिंटेड होना आवश्यक है एवं हस्तलिखित या मैनुअल टाइपिंग वित्तीय निविदा मान्य नहीं होगा।
14. किसी भी कारण से आपूर्ति किये गये दवा/मशीन उपकरण आदि का भुगतान नहीं हो पाने की स्थिति में आपूर्तिकर्त्ता फर्मों को अपने खर्च पर वापस ले जाना होगा।
15. बिहार राज्य के बाहर अवस्थित निर्माणकर्त्ता फर्मों का बिहार राज्य के अंदर निबंधित कार्यालय/आपूर्तिकर्त्ता/एजेंट जो बिहार राज्य के अंदर निबंधित कार्यालय आपूर्तिकर्त्ता एजेंट जो बिहार बिक्री कर से निबंधित होने पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी।
16. यह आवश्यक नहीं है कि केवल न्यूनतम दर ही स्वीकार किया जाये, क्रय समिति को गुणवत्ता के आधार पर चयनित दर वाले निविदा अनुमोदन का भी पूर्ण अधिकार होगा।
17. दवा, रसायन/सामग्री पूर्त्तियाँ/मशीन उपकरण का दर एम0आर0पी0 से 20% कम होने का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा।
18. No Conviction Certificate/काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र एवं Performance Certificate भी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
19. दवा/रसायन/सामग्री पूर्तियॉ/उपकरण आदि का दर बाजार दर से अधिक नहीं होना चाहिए, तथा आपूर्ति किये गये दवाओं या सामग्री के निम्न स्तर के पाये जाने पर संबंधित फर्म को कालीसूची में डालते हुए कार्रवाई की जाएगी तथा जमानत राशि जब्त करते हुए की हुई भुगतान वापस ले ली जाएगी।

20. औषधि एवं अन्य समाग्रियों का मुल्य औषधि नियमावली के तहत **Drug Price Control Organization** के अंतर्गत अस्पताल दर पर अंकित करने हेतु शपथपत्र संलग्न करना होगा।
21. एकल निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
22. निविदादाता के विगत तीन वर्षों का औसतन वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 1 (एक) करोड़ से अधिक होना चाहिए, एवं विगत तीन वर्षों का **Audited Report** संलग्न करना होगा। विगत लगातार तीन वर्षों में 1 (एक) करोड या उससे कम टर्नओवर वाले फर्म निविदा में भाग लेने योग्य नहीं होंगे।
23. निविदादाता को बिहार वित्तीय नियमावली की शर्त्तों जिनका उल्लेख यहाँ नहीं भी किया गया हो के अधीन निविदा देना होगा।
24. निविदादाता को सभी शपथपत्र प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी का देना होगा।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया

ज्ञापांक : 1375 दिनांक : 13/07/17

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सूचना भवन, बेली रोड, बिहार, पटना को पाँच प्रति में आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि उपरोक्त विज्ञापन को अविलंब कम से कम दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– प्रभारी डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, खगड़िया को निविदा जिले के सरकारी वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: 1 प्र0

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया